सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या
जनपद–इटावा
दिनांक 15–18 फरवरी, 2018

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से तीन सदस्यीय भ्रमण टीम श्री अभिषेक यादव, परमार्शदाता, श्री सौरभ तिवारी, परामर्शदाता एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कानपुर मण्डल के जनपद इटावा की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 15 से 18 फरवरी 2018 को किया गया है।

भ्रमण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के साथ बैठक करके निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर फीडबैक दिया गया जिस पर जनपद स्तर से सुधारात्मक कायवाही किया जाना अपेक्षित है–

आख्या	अपेक्षित कार्यवाही	दायित्व
डा0 अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी से टीम की हुयी वार्ता के क्रम में टीम के सदस्यों को मुख्य चिकित्साधिकारी की नकारात्मक मानसिकता का बोध हुआ। टीम के सदस्यों द्वारा जब फीडबैंक देने का प्रयास किया गया तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नही दिया गया और कहा गया कि मेरे पास बहुत काम है और ए0सी0 में बैठ कर आदेश निर्गत करना बेहद आसान है।	**सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्यो का सम्पादन आपेक्षित है।**	**मण्डलीय अपर निदेशक, मंडल – कानपुर।**
ब्लाक जसवंतनगर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0बी0एस0के0 टीम के पास वाहन नही है और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन से भ्रमण किया जा रहा है। टीम कें पास जो वाहन था उसके चालक की मृत्यु होने के कारण अनुबन्ध निरस्त हो गया है। टीम बी में दोपहर 12 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित पायी गयी। टीम–बी में तैनात डा0 कुसुम द्वारा अभिलेख देखने पर पाया गया कि प्रपत्र सम्पूर्ण नही भरे जाते है। विद्यालयों/आगनवाडी के डी.आई.एस.ई. कोड, लिंग एवं उम्र आदि नही भरे जाते है।	वाहन के पुनर्अनुबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि ससमय भ्रमण हेतु जाना सुनिश्चित किया जाये एवं प्रपत्र सम्पूर्ण भरे जाये जिसे नियमित रूप से प्रभारी निरीक्षण करें।	नोडल अधिकारी–आर. बी.एस.के.
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंन्ट का निस्तारण दैनिक आधार पर नही किया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण वाहन 10–15 दिन में आता है। चिकित्सा इकाईयों पर बायोमेडिकल वेस्ट लागबुक, कन्ज्यूमेबल्स आपूर्ति रिसीविंग रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिसके कारण सेवा प्रदाता के सेवाओं का मूल्यांकन/आंगणन नहीं किया जा सका। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंन्ट हेतु अनुबन्धित सेवा प्रदाता की जांच होने के कारण भुगतान नही किया गया है।	अनुबंधित सेवा प्रदाता से आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स की आपूर्ति, नियमित रुप से निस्तारण हेतु कार्यवाही की जायें। सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध के अनुसार सामग्री की आपूर्ति एवं सेवा न प्रदान किये जाने हेतु यथोचित धनराशि की कटौती करते हुये जांच उपरांत भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य के अनुश्रवण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किये जाने की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत 15–20 प्रतिशत लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।	कैम्प लगाकर भुगतान कराये जाने की आवश्यकता है।	ए.सी.एम.ओ.–आर.सी.एच./डी.सी.पी.एम.
आशाओ का भुगतान जे0एस0वाई0 के अतिरिक्त अन्य मदों में नही किया गया है। नसबन्दी के भुगतान (लाभार्थियों एवं प्रेरक) का पिछले वर्ष से लम्बित है।	लम्बित भुगतान हेतु कैम्प लगाकर डाक्यूमेन्ट पूर्ण कराकर भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।	ए.सी.एम.ओ.–आर.सी.एच./डी.सी.पी.एम.
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) के अन्तर्गत जनपद में 07 वाहन अनुबंधित है। एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद इटावा की जनपद स्तर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षणक की एक भी भ्रमण आख्या अपलोड नही है। ब्लाक महेवा एवं चकरनगर के वाहन संख्या मोटर बाइक की पायी गयी थी।	चेकलिस्ट के विषय में जनपद स्तर पर ओरियेन्टेशन एवं संबंधित अधिकारियों के भ्रमण चेकलिस्ट का संकलन एवं विश्लेषण जनपद एवं ब्लाक स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक भ्रमण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। ब्लाक महेवा एवं चकरनगर के वाहन संख्या टंकण त्रुटिवश राज्य पर गलत उपलब्ध करायी गयी। उक्त हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
वित्तीय वर्ष 2017–18 में पोर्टल पर जनपद इटावा में जिला स्वास्थ्य समिति की जी0बी मात्र 03 अपलोड की गयी है जबकि जी0बी0 प्रति माह की गयी है। जानकारी प्राप्त हुयी कि जिलाधिकारी महोदय के स्थानानतरण होने के कारण जी0बी0 के कार्यवृत्त हस्ताक्षर नही हो सकें।	उक्त हेतु कार्योत्तर हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जनपद में आयरन की गोलियां उपलब्ध नही पायी गयी। विफ्स कार्यक्रम के बारे में न तो कोई जानकारी है और न ही विफ्स रजिस्टर उपलब्ध है।	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि आयरन की दवायें का क्रय प्रक्रियाधीन है एवं जल्द जनपद में उपलब्ध हो जायेगी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की इकाईवार आख्या निम्नवत् है–

दिनांक–15/02/2018 – प्रथम दिवस

नेशनल डी वार्मिंग दिवस मापअप राउण्ड की पर्यवेक्षण आख्या

दिनांक 15.02.2018 को जनपद जनपद इटावा के पॉच केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया गया, जहॉ पर्यवेक्षण के अवलोकन बिन्दु निम्न है–

1. प्रशिक्षण– ब्लाक स्तर पर दिनांक 08.02.2018 व 09.02.2018 को अध्यापकों व ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया गया।
2. प्रचार–प्रसार– प्रशिक्षण उपरान्त समुदाय स्तर तक प्रचार–प्रसार भली प्रकार से नही किये गये। स्कूल प्रबन्धन समिति व अभिभावक बैठकें तथा समुदाय स्तर पर बैठकों व दिवार लेखन आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार का अभाव देखने को मिला।
3. उपलब्ध एलबेण्डाजोल टेबलेट– अध्यापकों को 200 टेबलेट व ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 75 टेबलेट समान मात्रा में वितरित किये गये थे। उपस्थित समस्त बच्चों के अनुपात में दवाईयों की कमी नहीं हुई।
4. जनपद में आयरन की गोलियां उपलब्ध नही पायी गयी। विफ्स कार्यक्रम के बारे में न तो कोई जानकारी है और न ही विफ्स रजिस्टर उपलब्ध है।

➢ **पूर्व माध्यमिक विद्यालय केशोपुरकलॉ, वि.क्षे. बसरेहर, जनपद इटावा।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	
प्राइमरी पाठशाला पर बच्चों की सूची उपलब्ध थी। ट्रैकिंग शीट विकसित की गयी थी। डिवर्मिग गोलिया खुले कागज में उपलब्ध पायी गयी थी, जिसके कारण एक्सपाइरी डेट जान पाना संभव नहीं था। उक्त का कारण बताया गया कि विद्यालय में मात्र 99 बच्चे ही है इस कारण दवाएं ऐसे ही उपलब्ध करायी गयी। सत्र निरीक्षणी के दौरान डिवर्मिग गोली खिलाने से किसी भी प्रकार के प्रतिकूल घटना नहीं पायी गयी।	उपस्थिति पंजिका का उपयोग करते हुए दवा खिलाये गये बच्चों के नाम के सम्मुख उस तारीख पर सही का निशान लगाने का सुझाव दिया गया। जिससे छूटे हुए बच्चों की सूची भी तैयार हो सके और ज्ञात हो सके कि किस दिनांक पर किस बच्चे ने दवा खायी है।	
दवाईयॉ 200 टेवलेट उपलब्ध थीं। भ्रमण के समय उपस्थित 10 तारीख को छूट गये बच्चों को दवा खिलायी गयी थी। अघ्यापक को दवाईयों के साइड इफेक्ट की जानकारी थी। सभी को दवा खिलाया गया था। प्रधानाचार्या विद्यालय में उपस्थित नही थी। टीम के सदस्यों के आग्रह पर उनको बुलाया गया। सत्र पर बैनर नही लगा हुआ पाया गया।	प्रधानाचार्या का प्रशिक्षण नही हो सका था उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उक्त हेतु BRC की सहायता लेने को कहा गया। टीम के सदस्यों के कहने उपरांत बैनर लगवाया गया।	
विद्यालय के पास छात्रों को दी जाने वाली आयरन की नीली गोलियां उपलब्ध थी। अध्यापकों को विफ्स कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विफ्स रजिस्टर एवं रिपोर्टिंग फॉर्मेट कही भी उपलब्ध नहीं कराये गए थे। विद्यालय द्वारा कभी भी विफ्स की रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।	नोडल सभी केन्द्रों पर IFA विफ्स रजिस्टर और रिपोर्टिंग फोर्मट्स पूरी मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	चेकलिस्ट संलग्न।

➢ **पूर्व माध्यमिक विद्यालय निनावां, भरथना, जनपद इटावा।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	
प्राइमरी पाठशाला पर बच्चों की सूची उपलब्ध थी। ट्रैकिंग शीट विकसित की गयी थी। सत्र पर बैनर नही लगे पाये गये। आइरन की गोली नही उपलब्ध पायी गयी। किसी भी अध्यापक को प्रशिक्षण नही कराया गया था।	नोडल द्वारा आई0ई0सी0 उपलब्ध कराया जाना एवं प्रशिक्षण कराया जाना अपेक्षित है। उपस्थिति पंजिका का उपयोग करते हुए दवा खिलाये गये बच्चों के नाम के सम्मुख सही का निशान लगाने का सुझाव दिया गया। जिससे छूटे हुए बच्चों की सूची भी तैयार हो सके।	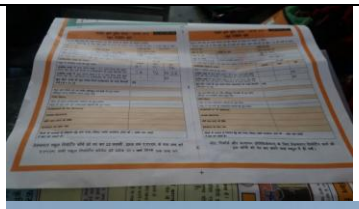
दवाईयॉ 200 टेवलेट उपलब्ध थीं। भ्रमण के समय उपस्थित सभी बच्चों को दवा खिलायी गयी थी। अध्यापक को दवाईयों के साइड इफेक्ट की जानकारी थी। सभी को दवा खिलाया गया था। विद्यालय के पास छात्रों को दी जाने वाली आयरन की गोलियां उपलब्ध नही थी। अध्यापकों को विफ्स कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विफ्स रजिस्टर भी केन्द्र पर उपलब्ध नही था। जबकि रिपोर्टिंग फॉर्मेट कही भी उपलब्ध नहीं कराये गए थे। विद्यालय द्वारा कभी भी विफ्स की रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।	नोडल सभी केन्द्रों पर IFA विफ्स रजिस्टर और रिपोर्टिंग फोर्मट्स पूरी मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	

चेकलिस्ट संलग्न।

➢ **पूर्व विद्यालय मुगलपुर, नरैनी, जनपद इटावा।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव
प्राइमरी पाठशाला पर बच्चों की सूची उपलब्ध थी। ट्रैकिंग शीट विकसित की गयी थी। किसी भी अध्यापक को प्रशिक्षण नही दिया गया।	उपस्थिति पंजिका का उपयोग करते हुए दवा खिलाये गये बच्चों के नाम के सम्मुख सही का निशान लगाने का सुझाव दिया गया। जिससे छूटे हुए बच्चों की सूची भी तैयार हो सके।
दवाईयॉ 200 टेवलेट उपलब्ध थीं। भ्रमण के समय उपस्थित सभी बच्चों को दवा खिलायी गयी थी। अध्यापक को दवाईयों के साइड इफेक्ट की जानकारी थी। सभी को दवा खिलाया गया था।	
विद्यालय के पास छात्रों को दी जाने वाली आयरन की गोलियां उपलब्ध नही थी। अध्यापकों को विफ्स कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।	

चेकलिस्ट संलग्न।

➢ **पूर्व विद्यालय गंगौरा, भरथना, जनपद इटावा।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव
प्राइमरी पाठशाला पर बच्चों की सूची उपलब्ध थी। ट्रैकिंग शीट विकसित की गयी थी। प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिका उपस्थित पायी गयी।	उपस्थिति पंजिका का उपयोग करते हुए दवा खिलाये गये बच्चों के नाम के सम्मुख सही का निशान लगाने का सुझाव दिया गया। जिससे छूटे हुए बच्चों की सूची भी तैयार हो सके।
दवाईयॉ 200 टेवलेट उपलब्ध थीं। भ्रमण के समय उपस्थित सभी बच्चों को दवा खिलायी गयी थी। अध्यापक को दवाईयों के साइड इफेक्ट की जानकारी थी। सभी को दवा खिलाया गया था। आपातकालीन नम्बर नही उपलब्ध था जो कि टीम द्वारा उपलब्ध कराया गया।	

चेकलिस्ट संलग्न।

➢ **ऑगनबाड़ी केन्द्र भोली, भरथना, जनपद इटावा।**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव
दवाईयॉ 75 टेवलेट उपलब्ध थीं। भ्रमण के समय उपस्थित सभी बच्चों को दवा खिलायी गयी थी। ऑगनबाड़ी कार्यकत्री को दवाईयों के साइड इफेक्ट की जानकारी थी। सभी को दवा खिलाया गया था।	
आशा द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची नहीं उपलब्ध करायी गयी थी।	आशा को क्षेत्र से सूची तैयार करने व लोगों को प्रेरित कर केन्द्र तक लाने का सुझाव दिया गया।
दवा पीसकर खिलाये जाने की व्यवस्था हेतु चम्मच, पानी आदि उपलब्ध थे।	ऑगनबाड़ी कार्यकत्री से चम्मच में दवा बनाने सम्बन्धी जानकारी ली गयी।
ऑगबाड़ी सहायिका व आशा द्वारा घरों में सम्पर्क कर कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई थी।	

चेकलिस्ट संलग्न।

➢ जिला संयुक्त चिकित्सालय –इटावा

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी	समय सीमा
चिकित्सालय परिसरः–			
परिसर में निर्माण कार्य की वजह से सिटीजन चार्टर बोर्ड लगा था, अपडेटेड डिस्प्ले भी नहीं था।	उचित स्थान पर अपडेट कराते हुए डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक माह**
ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था।	ई0डी0एल0 का प्रर्दशन कराया गया, नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
शिकायत पेटिका उपलब्ध थी किन्तु उपयोग में नही था।	शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानकानुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक सप्ताह**
आई0ई0सी0ः–		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी। जो आई0ई0सी0 उपलब्ध थे वे काफी पुराने व धुधले हो चुके थे। डाइट चार्ट डिस्प्ले नहीं था।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक माह**
मातृत्व स्वास्थ्य–			
प्रसव कक्ष में संक्रमण से बचाव के तरीको का फालो नही किया जा रहा था। 07 ट्रे ट्राली बनवायी गयी थी किन्तु ड्यूटी स्टाफ द्वारा 07 ट्रे बेहतर तरीके से उपयोगित नहीं किया जा रहा था।	संक्रमण से बचाव सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया।		**प्रतिदिन**
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट अपडेटेड नहीं था।	ड्यूटी अपडेट करने का सुझाव दिया गया।		**प्रतिदिन**
जे0एस0वाई0, डायट, एवं आर0के0एस0 का रजिस्टर प्रपत्र व मानकानुसार नहीं बनाये जा रहें है। डायट रजिस्टर 24.01.2018 तक का ही मेण्टेन किया गया था।	सभी रिकार्ड मानकानुसार पूरा कराने को कहा गया। प्रतिदिन का अभिलेखीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ड्यूटी प्रभारी	**एक माह**
जे0एस0वाई0 भुगतान काफी कम हुआ है।	भुगतान हेतु लाभार्थियों को फोन कर खातासंख्या प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।		**प्रतिदिन**
सम्पूर्णा क्लिनिक में तैनात सुश्री शीलू कुमारी, स्टाफ नर्स को जानकारी का काफी अभाव था।	स्टाफ नर्स का क्षमतावर्द्धन करने या अन्यत्र शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया।		**एक माह**
इन्जेक्शन कक्ष में दस्ताने प्रयोग नहीं किये जा रहे थे।	दिशा–निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया।		**प्रतिदिन**

अल्ट्रासाउण्ड की सेवायें नही प्रदान की जा रही हैं।	प्रशिक्षित चिकित्सकों के बारे में जानकारी प्रदान कर सेवायें प्रदान की जाऍं या रेडियोलाजिस्ट की उपलब्धता हेतु मॉग की जाए।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक माह**
परिवार नियोजन–			
महिला वार्ड में भर्ती महिला लाभार्थियों या उनके परिजनों को काउन्सलर द्वारा परिवार नियोजन, स्तनपान आदि के बारे में नियमित परामर्श नहीं दिया जा रहा है।	निर्देश दिया गया कि भर्ती महिला लाभार्थियों या उनके परिजनों को परिवार नियोजन, स्तनपान आदि के बारे में सम्पूर्ण परामर्श दिया जाये।	परिवार नियोजन,काउन्सलर	**प्रतिदिन**
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हुए लाभार्थियों का फालोअप ड्यू डेट पर नहीं किया जा रहा है। ड्यू डेट से फालोअप रिकार्ड मैच नहीं कर रहे थे। फालोअप काफी कम हैं।	चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि प्रत्येक माह सेवाप्रदातावार उपलब्धि समीक्षा करें एवं इकाई में होने वाले प्रसव के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।	परिवार नियोजन,काउन्सलर	**प्रतिदिन**
नसबन्दी लाभार्थियों के मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट नहीं भरे जा रहे है। मुद्रित नसबन्दी रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।	समस्त प्रपत्र प्रिण्टेड प्राप्त कर भरे जायें।	चिकित्साधिकारी / सर्जन	**प्रतिकेस**
कण्डोम बाक्स लगा था।	नियमित रुप से कण्डोम भरे जाने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
बाल स्वास्थ्य–			
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन नहीं था। डिस्चार्ज से पहले नवजात बच्चों को बी०सी०जी०, ओ0पी0वी0 एवं हेपेटाइटिस बी की जन्म वाली खुराक दी जा रही थी ।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक सप्ताह**
एन0आर0सी0 में संदर्भित मरीजों की संख्या काफी कम है।	आर0बी0एस0के0टीमें व आशाओं का अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी,	**एक सप्ताह**
एस0एन0सी0यू0 में रेफरल रजिस्टर मेण्टेन नहीं किया जा रहा है।	रेफरल रजिस्टर मेण्टेन किये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधिकारी, एस0एन0सी0यू0	**एक सप्ताह**

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम–			
ए0एफ0एच0एस0 क्लिनिक में आवश्यक उपकरणों का अभाव था। श्रीमती प्रेमलता, ए0एफ0एच0एस0 परामर्शदाता के पास कम्प्यूटर अक्रियाशील पाया गया और बताया गया कि वह रिपोटिंग अन्य स्थान से करती है। ओ0पी0डी0 बंद होने के बाद परिवार नियोजन काउन्सलर, ए0एफ0एच0एस0 काउन्सलर आदि सब कार्यालय से चले जाते है।	काउन्सलर को आवश्यक उपकरणों की मॉग हेतु मॉगपत्र देने का सुझाव दिया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी अवगत कराया गया। कम्प्यूटर शीध्र ठीक कराने की आवश्कता है। टीम द्वारा बताया गया कि समय से कार्यालय से जाया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक सप्ताह**
आपरेशन थियेटरः–			
आपरेशन थियेटर में सक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो नहीं किये जा रहे थे एवं अभिलेख अद्यतन नही पाये गये। **लेबर रूम** में डिजिटल घड़ी लगाने की आवश्यकता है।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक सप्ताह**

बायोमेडिकल वेस्ट–			
चिकित्सालय में Colour Coded Bins की व्यवस्था की गयी थी।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला),	**एक सप्ताह**
ब्लड बैंक–			
ब्लड बैक के स्टाफ रक्त सग्रहण, शिविर मे गये हुए थे। वरिष्ठ लैब तकनीशियन से जानकारियॉ प्राप्त की गई।			
रिकार्ड पुराने प्रपत्र पर भरे हुए थे।	नवीन प्रपत्रों का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।	ब्लड बैक स्टाफ	**एक सप्ताह**
जे0एस0वाई0 व थैलेसेमिया के मरीजों से रक्त रिप्लेसमेण्ट के बाद ही प्रदान किया जा रहा था।	दिशा–निर्देशों का पालन सख्ती से किये जाने का सुझाव दिया गया।	ब्लड बैक स्टाफ	**तत्काल**
रोगियों से वार्ता– मरीजों से हुयी वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि मरीज पूनम को बाहर की दवा लिखी गयी। जानकारी प्राप्त हुयी कि आपातकाल की स्थिति में उक्त दवा न होने के कारण ऐसा किया गया।	आवश्यक है कि आवश्यक दवायें पूर्व में चिकित्सालय में रखी जाये ताकि मरीजों को बाहर से दवायें लेने की आवश्यकता न पड़े।	भण्डार प्रभारी	**तत्काल**
मानव संसाधन–			
चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता है।	उक्त हेतु आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की सलाह दी गयी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**एक माह**
108/102–			
रोगियों से वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि उनको 108/102 की समुचित जानकारी है। वाहन संख्या के अभिलेख नही दिखायें गये एवं वाहन संख्या UP35 G 0234 का हुटर खराब अवस्था में पाया गया। वाहन के अंदर रोगी एवं आशायें बैठी पायी गयी जिन्हें वाहन चालक छोडने जा रहा था।	108/102 के वाहनों के चालक एवं पायलट के अभिलेखों को नियमित निरीक्षण की आवश्यकता है।	सम्बन्धित अधिकारी/स्टाफ	**प्रतिदिन**

संलग्न– चेकलिस्ट।

➢ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –जसवन्तनगर

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी	समय सीमा
चिकित्सालय परिसरः–			
सिटीजन चार्टर अपडेटेड डिस्प्ले नहीं था।	उचित स्थान पर अपडेट कराते हुए डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक माह**
ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था।	ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
शिकायत पेटिका उपलब्ध था किन्तु उपयोग में नही था। परिसर में वाहन यहां वहां लगे पाये गये।	शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानकानुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया। वाहनों को सुव्यवस्थित लगाने हेतु गार्ड को तैनात करने की आवश्यकता है।	अधीक्षक,	**एक सप्ताह**
आई0ई0सी0ः–			
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी। जो आई0ई0सी0 उपलब्ध थे वे काफी पुराने व धुधले हो चुके थे। डाइट चार्ट डिस्प्ले नहीं था।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक माह**
मातृत्व स्वास्थ्य–			
छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धी लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नही दिया जा रहा है।	लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र दिये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
जे0एस0वाई0 वार्ड में प्रचार प्रसार सम्बन्धित प्रदर्शन ब्यापक रुप से नहीं था।	दीवार लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक माह**
पार्टोग्राफ नहीं भरें जा रहे है।	पार्टोग्राफ भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
प्रसव कक्ष में डिजिलट क्लाक, हाईटोमीटर आदि नहीं पाये गये।	आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक सप्ताह**
परिवार नियोजन–			
परिवार नियोजन काउन्सलर, टीम की उपस्थिति में 10.45 बजे चिकित्सालय में उपस्थित हुई।	समय से चिकित्सालय आने हेतु निर्देशित किया गया तथा चिकित्साधिकारी को स्टाफ हेतु समय पालन कराने का सुझाव दिया गया।	परिवार नियोजन काउन्सलर	**प्रतिदिन**
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। जनवरी 2018 से आई0यू0सी0डी0 उपलब्ध नहीं है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	अधीक्षक,	**एक सप्ताह**
कण्डोम बाक्स लगा था, किन्तु खाली था।	नियमित रुप से कण्डोम भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
उपस्थित लाभार्थियों को परिवार नियोजन उपायों की जानकारी नही थी।	परिवार नियोजन उपायों की जानकारी प्रदान कराने व आशाओं के माध्यम से गर्भनिरोधक वितरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
चिकित्सालय में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सेवायें दी जा रही हैं। रजिस्टर	चिकित्सा अधीक्षक को सुझाव दिया गया कि प्रत्येक माह सेवाप्रदातावार उपलब्धि समीक्षा करें एवं इकाई में होने	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**

में 31.01.2018 के बाद की इण्ट्री नहीं थी। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन व फालोअप के रिकार्ड मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लाभार्थियों का फालोअप किया जा रहा है।	वाले प्रसव के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन का रिकार्ड प्रतिदिन भरे जाने का सुझाव दिया गया।		
होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण भ्रमण के दौरान प्रत्येक आशा को बराबर मात्रा में किया जा रहा था।	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाय व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय।	बी0पी0एम0, एच0ई0ओ0 व बी0सी0पी0एम0	**प्रति बैठक**
बाल स्वास्थ्य–			
नवजात शिशु को Early Initiation of Breast Feeding नही करायी जा रही थी। वार्ड में भर्ती प्रसूता प्रियंका पत्नी जितेन्द्र निवासी–परसवा के पास कटोरी में गाय का दूध पाया गया।	Early Initiation of Breast Feeding महत्व बताये जाने का सुझाव दिया गया तथा सम्बन्धित स्टाफ को वार्ड में नवजात शिशुओं को उपरी आहार न दिये जाने हेतु प्रेरित करने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
प्रसव कक्ष में ट्ीकाकरण सारिणी एवमं प्रोटोकोल पोस्टर उपलब्ध नही थे।	प्रसव कक्ष में ट्ीकाकरण सारिणी एवमं प्रोटोकोल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
आपरेशन थियेटरः–			
आपरेशन थियेटर में सक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल्स फालो नहीं किये जा रहे थे। पारदर्शी शीशे लगे थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक सप्ताह**
बायोमेडिकल वेस्ट–			
चिकित्सालय में Colour Coded Bins की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी थी। लैब में खुली सुईयों का ढेर पाया गया।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही विसंक्रमित करने व निर्देशों के अनुरुप निस्तारण करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक,	**एक सप्ताह**
आर.बी.एस.के.टीमः–			
आर.बी.एस.के. टीमों के वाहन की निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक भरी जा रही हैं। लागबुक में मीटर रीडिंग अंकित नहीं था। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। दोनों टीमों को मिलाकर एक वाहन उपलब्ध है। प्रभारी द्वारा टीम बी हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का वाहन दिया जाता है।	समस्त रिकार्ड पूर्ण रुप से व सही भरे जाने का सुझाव दिया गया। टीम बी हेतु वाहन का अनुबंध करा कर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	सम्बन्धित स्टाफ	**प्रतिदिन**
एम्बुलेन्स सेवा–			
108 एम्बुलेन्स UP 41 G 0675 का अवलोकन किया गया। एम्बुलेन्स का सस्पेन्सन, अपर लाईट, हूटर व बी0पी0 मशीन खराब था।	टीम के सदस्यों द्वारा जल्द वाहन के उपकरण ठीक कराने एवं अभिलेखों को अद्यतन कराने को कहा गया।	सम्बन्धित अधिकारी / स्टाफ	**प्रतिदिन**
मानव संसाधन–			
चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता है।	उक्त हेतु आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की सलाह दी गयी।	अधीक्षक,	**एक माह**

रोगियों से वार्ता– श्रीमती रजनी, मरीज से हुयी वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी है किन्तु 108/102 एम्बूलेन्स का नम्बर नही पता है। आशा द्वारा फोन का बुलाया गया एवं मरीज एम्बूलेंस से आयें।	आईई0सी0 के विभिन्न माध्यमों से रोगियों को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।	प्रभारी	**एक सप्ताह**

संलग्न– चेकलिस्ट।

➢ **नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –बलरई, इटावा**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी	समय सीमा
चिकित्सालय परिसरः–			
चिकित्सालय में मात्र एक गार्ड उपस्थित पाया गया। कोई भी मरीज नही था। चिकित्सालय में बेइद गंदगी पायी गयी एवं चिकित्सालय क्रियाशील नही है।	चिकित्सालय में मानव संसाधन की तैनाती कर समस्त सरकारी सुविधियें उपलब्ध करानी आवश्यक है।	मुख्य चिकित्साधिकारी	**एक माह**

➢ **नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –बिजौली**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी	समय सीमा
चिकित्सालय परिसरः–			
ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था।	ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
शिकायत पेटिका उपलब्ध था किन्तु उपयोग में नही था।	शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानकानुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी,	**एक सप्ताह**
आई0ई0सी0ः–			
परिसर में भ्रमण के दौरान आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी,	**एक माह**
मातृत्व स्वास्थ्य–			
माह जनवरी 2018 में मात्र 02 प्रसव किये गये। ए0एन0सी0 में सुधार कर प्रसव अधिक कराने की आवश्यकता है। डाइट एवं 108/102 की सुविधा आदि प्रदान कर प्रसवों की संख्या बढाई जा सकती है।	डाइट एवं 108/102 की सुविधा प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है।	प्रभारी चिकित्साधिकारी,	**प्रतिदिन**
परिवार नियोजन–			
गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	चीफ फार्मासिस्ट	**प्रतिदिन**
होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है।	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाय व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय।	बी0पी0एम0, एच0ई0ओ0 व बी0सी0पी0एम0	**प्रति बैठक**
बाल स्वास्थ्य–			
प्रसव कक्ष में ट्रीकाकरण सारिणी एवमं प्रोटोकोल पोस्टर उपलब्ध नही थे।	प्रसव कक्ष में ट्रीकाकरण सारिणी एवमं प्रोटोकोल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी,	**एक माह**
नवजात शिशु के शरीर को पोछने हेतु तोलिया उपलब्ध नही थी।	आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी,	**एक दिन**
बायोमेडिकल वेस्ट–			
चिकित्सालय में Colour Coded Bins की समुचित ब्यवस्था नहीं की गयी थी। बायो मेडिकल पिट् मानकानुसार नही पाया गया।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही विसंक्रमित करने व निर्देशों के अनुरुप निस्तारण करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी, क्वालिटी मैनेजर, बी0पी0एम0, एच0ई0ओ0 व बी0सी0पी0एम0	**प्रति बैठक संलग्न– चेकलिस्ट।**

➢ वी0एच0एन0डी0 सत्रः ग्राम–, विकास खण्ड– जसवन्तनगर, इटावा

सम्पर्क : ए.एन.एम.–श्रीमती ,
आशाः– श्रीमती
ऑगनबाड़ी कार्यकत्रीः– श्रीमती

टीम द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र का अवलोकन किया गया। आशा के पास आशा डायरी व बैग समस्त टूल किट के साथ सत्र स्थल पर नही था। गर्भनिरोधक सामग्री भी उपलब्ध नहीं था। सामुदायिक स्तर की गतिविधियों का आकलन हेतु टीम द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरुप विभिन्न विधाओं के सेवाप्राप्त 05 लाभार्थियों से सम्पर्क किया गया। ए0एन0सी0 चेक अप हेतु कोई स्थान उपलब्ध नही था।

- बच्चो की बजन मशीन उपलब्ध थी।
- ए0एन0सी0 एवं0 पी0एन0सी0 की कोई समुचित व्यवस्था नही थी।
- हब कटर, एवं पन्चर प्रुफ वाक्स उपलब्ध नही था।
- यूरिन टेस्ट किट एवं ब्लड टेस्ट किट उपलब्ध थी।
- प्रसूती महिला, लक्षित दम्पत्ति सूची, एच0आर0पी0 सूची आदि उपलबध नहीं पायी गयी।
- कुपोषित बच्चों के परीक्षण के लिये एम0यू0ऐ0सी0 टेप उपलब्ध था, किन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे कुपोषित बच्चों का चिन्हिकरण व बच्चों को एन0आर0सी0 रेफर नहीं किया जा रहा था।

(अभिषेक यादव)	(सौरभ तिवारी)	(अखिलेश श्रीवास्तव)
परामर्शदाता,	परामर्शदाता,	कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम	आर0के0एस0के0 / एम0एण्ड0ई0.	परिवार नियोजन